18.07.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र मे वादी की ओर से प्रभावी कार्यवाही नही हो रही है। प्रकरण 2016 का है आगामी कोई कार्यवाही नही होने से स्पष्ट जाहिर हो रहा है। कि वादी पक्ष कार्यवाही नही चाहता। वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
बहुमानपद

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.06 10:42:01 IST
Reason: SelfAttested